न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1114/2020

अनवान : –

1. राजेश कुमार
2. राकेश कुमार
3. पवन कुमार

} पि0 लीलाधर जाति रेगर निवासी जोगीआसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लीलाधर पुत्र चन्दरूराम जाति रेगर निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
2. कौशल्या पुत्रीयान लीलाधर जाति रेगर निवसी जोगीआसन तहसील नोहर।
3. सम्पदेवी पुत्रीयान लीलाधर जाति रेगर निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः** 12/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59/37 के ख0न0 35 कीं 4.6920 हैक्ट भूमि, ख0न0 41 की 2.3650 हैक्ट, ख0न0 44 की 4.7170 हैक्ट भूमि कुल 11.7740 हैक्ट भूमि के वादीगण के दादा चन्दररूराम खातेदार काश्तकार थे।

वादीगण के दादा चन्दरूराम फौत हो चुके है एवं बाद फौतदगी के उक्त भूमि उनके चारों पुत्रों पर औद हुई व उनके पांचों पुत्रों के नाम बहिब औद हुई एवं प्रतिवादी स0 1 के हिस्से में रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59/37 की कुल 11.7740 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई है। वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वाद वादीगण अपना हक हिस्सा [illegible] है।

वादी ने प्रतिवादीगण को [illegible] हिस्सा की भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा [illegible] कुछ दिन आजक[illegible] रहे आखिर इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है एवं उत्तरदाता की पुत्रीयों द्वारा कोई हक त्याग नही किया गया है। रिकार्डेड खातेदार अपने नाम दर्ज भूमि के उपयोग हेतु स्वतंत्र है। उक्त विवादित भूमि में से उत्तरदाता को अपनी बहिनों से हक व हिस्सा प्राप्त हुआ है वह जरिये दस्बरदारी नामान्तरण संख्या 792 दिनांक 02.06.2017 से प्राप्त हुआ है जिसमें वादीगण किसी प्रकार की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी खारिज किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जात है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. **आया कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के ख0न0 35 की 4.6920 हैक्ट, ख0न0 35 की 4.6920, ख0न0 41 की 2.3650 हैक्ट, ख0न0 44 की 4.7140 हैक्ट कुल 11.7740 हैक्ट भूमि पैतृक भूमि है ?**

   –वादी

2. **आया कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59/37 की कुल 11. 7740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है ?**

   –वादी

3. **आया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी स0 1 को जरिये दस्बरदारी प्राप्त हुई जिसमें वादीगण किसी प्रकार की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है?**

   –प्रतिवादी

4. **. आया कि वाद वादीगण क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है एवं वाद वादीगण मैन्टेबल नही होने के कारण खारिज योग्य है?**

   –प्रतिवादी

5. **. दादरसी**

वादीगण ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2065–68 रोही मौजा ढाणी चारणान बहक चन्दरू वल्द लालु ईएक्सपी–1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता स0 59/37 रोही मौजा ढाणी चारणान ईएक्सपी–2, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक चन्दुराम व चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र बहक चन्दुराम पेश कियें।

प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य चित्रप्रति जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता स0 41 रोही मौजा ढाणी चारणान व नामान्तरण संख्या 785 व 792 पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन के अवलोकन के उपरान्त तनकीआत का निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:33 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तनकी नम्बर 1 :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सपी–1 के मुताबिक रोही मौजा ढाणी चारणान की भूमि पूर्व में चन्दरू वल्द लालू के नाम दर्ज थी उनके देहान्त के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम जरिये विरासन्तन दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि पैतृक भूमि है एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक भूमि में पुत्र व पुत्रीयों का अपने पिता के साथ बहिब जन्मजात हक हिस्सा है। चन्दरूराम के देहान्त के बाद वाद भूमि में पत्रावली में प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र की चित्रप्रति के मुताबिक चन्दरूराम के पांच व दो पुत्रीया का बहिब हक हिस्सा था चन्दरूराम की दोनो पुत्रीयों द्वारा अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग किया गया है यानि की सभी चन्दरूराम के सभी वारिसान का 1/7 हिस्सा था लेकिन बहिनो द्वारा हक त्याग के कारण 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई है अतः उक्त भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम कुल 2.3548 हैक्ट भूमि दर्ज है जिसमें से 0.6728 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 को अपने बहिनों से जरिये दस्बरदारी प्राप्त हुई है अतः प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में से 1.682 हैक्ट भूमि पैतृक भूमि होना साबित है एवं शेष 0.6728 हैक्ट भूमि पैतृक भूमि होना साबित नही है। अतः वादी तनकी न0 1 को सिद्ध करने में आंशिक सफल रहा है इसलिए तनकी न0 1 का निर्णय आंशिक वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था यह तनकी, तनकी न0 1 व 2 पर आधारित हैं जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक बहनों के हक त्याग के अलावा जरिये विरासतन दर्ज भूमि में वादीगण अपना हक हिस्सा ले पाने के अधिकारी हैं अतः उक्त तनकी का निर्णय आंशिक वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण के मुताबिक चन्दरूराम के दो पुत्रीया है जो की प्रतिवादी स0 1 की बहिने है एवं चन्दरूराम के पांच पुत्र है प्रतिवादी द्वारा नामान्तरण की चित्रपति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि जरिये विरासतन लिलाधर यानि की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई जिसमें प्रतिवादी स0 1 की बहिनो द्वारा अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याक किया गया है। यानि की चन्दरूराम के सभी वारिसान के नाम 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज होनी थी लेकिन बहिनो द्वारा अपना हक त्याग किया गया है इसलिए प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/7 हिस्सा भूमि में वादीगण का बहिब जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन जो भूमि प्रतिवादी स0 1 को जरिये हक त्याग अपनी बहिनो से प्राप्त है उसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नही है व अतः उक्त तनकी का निर्णय खिलाफ वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी नम्बर 4 :— यह तनकी, तनकी न0 1 व 3 पर आधारित है। जिसका निर्णय हो चुका है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का नि[illegible] हो चुका है। अतः वाद वादीगण आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वी[illegible] की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59/37 [illegible] कुल 11.7740 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:33 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि मे से 1.682 हैक्ट भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 12/09/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1114/2020

अनवान : –

1. राजेश कुमार
2. राकेश कुमार
3. पवन कुमार

} पि0 लीलाधर जाति रेगर निवासी जोगीआसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लीलाधर पुत्र चन्दरूराम जाति रेगर निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
2. कौशल्या पुत्रीयान लीलाधर जाति रेगर निवसी जोगीआसन तहसील नोहर।
3. सम्पदेवी पुत्रीयान लीलाधर जाति रेगर निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1140 सन 2020 निर्णय दिनांक 12/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59/37 की कुल 11.7740 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि मे से 1.682 हैक्ट भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:33 IST
Reason: SelfAttested